IAS GS World PCS

Committed To Excellence

News

World Weekly

(23 may - 30 may 2026)

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

भारत-वियतनाम ब्रह्मोस मिसाइल समझौता

- भारत ने वियतनाम के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति का समझौता किया है।
- समझौते में मिसाइल प्रणाली, प्रशिक्षण तथा लॉजिस्टिक सहायता शामिल है।
- सौदे का अनुमानित मूल्य लगभग ₹6000 करोड़ (USD 629 मिलियन) है।
- इंडोनेशिया के साथ भी ब्रह्मोस की नौसैनिक संस्करण की खरीद को लेकर वार्ता अंतिम चरण में है।
- वियतनाम समझौते की पुष्टि शांगरी-ला वार्ता (सिंगापुर) में 30 मई 2026 को हुई।
- फ़िलिपींस जनवरी 2022 में ब्रह्मोस खरीदने वाला पहला विदेशी देश था।

अब्राहम समझौता

- हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने सऊदी अरब, क़तर, पाकिस्तान, मिस्र, तुर्किये और जॉर्डन सहित कई मुस्लिम-बहुल देशों से अब्राहम समझौते में शामिल होने का आह्वान किया है। यह समझौता पश्चिम एशिया की राजनीति और कूटनीति को नया स्वरूप देने वाला महत्वपूर्ण प्रयास माना जाता है।
- यह अमेरिका की मध्यस्थता में वर्ष 2020 में कराया गया शांति एवं संबंध-सामान्यीकरण समझौता है।वर्ष 2020 में संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मोरक्को इसके प्रथम हस्ताक्षरकर्ता बने।
- यह पहल फ़िलिस्तीन मुद्दे के समाधान की प्रतीक्षा किए बिना अरब देशों और इज़राइल के बीच आर्थिक, तकनीकी और कूटनीतिक सहयोग बढ़ाने पर आधारित है।
- इसका नाम हज़रत इब्राहीम (अब्राहम) के नाम पर रखा गया है, जिन्हें यहूदी और इस्लाम दोनों परंपराओं में साझा पूर्वज माना जाता है।

भारत–सिंगापुर 16वाँ रक्षा नीति संवाद

- भारत और सिंगापुर के बीच 16वाँ रक्षा नीति संवाद सिंगापुर में आयोजित हुआ।
- रक्षा नीति संवाद दोनों देशों के बीच रक्षा परामर्श का सर्वोच्च संस्थागत तंत्र है।
- इसका उद्देश्य भारत-सिंगापुर सामरिक रक्षा साझेदारी को और मजबूत बनाना है।
- बैठक में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यासों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, क्षमता निर्माण तथा रक्षा आदान-प्रदान की प्रगति की समीक्षा की गई।
- दोनों देशों ने रक्षा उत्पादन एवं रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।
- साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मानव रहित प्रणालियों तथा उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई।
- समुद्री सुरक्षा तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता को सहयोग का प्रमुख क्षेत्र माना गया।
- भारत ने सिंगापुर सशस्त्र बलों के डिजिटल संचालन प्रौद्योगिकी केंद्र का दौरा कर डिजिटल एवं खुफिया-आधारित युद्ध क्षमताओं में सहयोग की संभावनाओं का अध्ययन किया।

महत्वपूर्ण तथ्य:

- **16वाँ रक्षा नीति संवाद** : भारत और सिंगापुर के बीच रक्षा सहयोग का सर्वोच्च संस्थागत मंच।

- **स्थान :** सिंगापुर।
- **मुख्य विषय :** साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मानव रहित प्रणालियाँ, समुद्री सुरक्षा, उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी तथा डिजिटल युद्ध।
- **क्षेत्रीय फोकस :** हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा एवं स्थिरता

11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक

- ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान के विदेश मंत्रियों और संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री ने 26 मई, 2026 को नई दिल्ली, भारत में 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया।
- क्वाड साझेदारों ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में क्वाड देशों की समुद्री निगरानी का लाभ उठाने, सूचना साझाकरण और समुद्री क्षेत्र जागरूकता क्षमता को बढ़ाने के लिए पहली बार हिंद-प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग (IPMSC) पहल शुरू की।

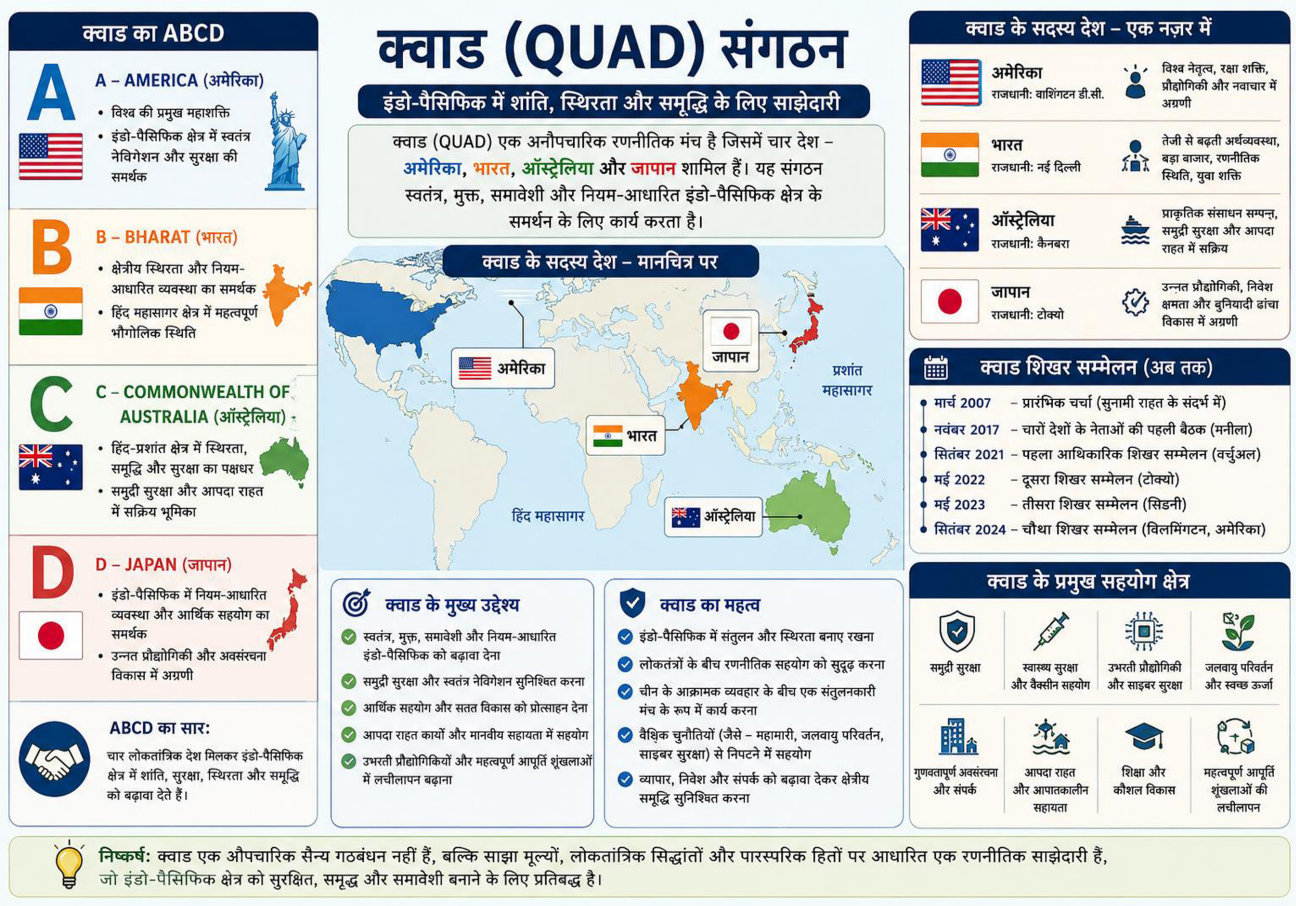

- क्वाड साझेदार जून 2026 में ऑस्ट्रेलिया में राज्य-प्रायोजित आतंकवाद के खतरों और मानवरहित हवाई वाहनों पर केंद्रित क्वाड आतंकवाद-विरोधी अभ्यास का आयोजन करेंगे।
- क्वाड भागीदारों ने यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस समर्थन प्रदान किया है कि सभी प्रशांत द्वीप फोरम देश 2026 तक अंडरसी केबल के माध्यम से जुड़ जाएं ताकि उनके डिजिटल भविष्य को सुरक्षित किया जा सके।

क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव फ्रेमवर्क:

- इसकी आधिकारिक घोषणा नई दिल्ली में आयोजित 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक (QFMM 2026) के दौरान विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा जारी संयुक्त बयान में की गई।
- यह फ्रेमवर्क भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच महत्वपूर्ण खनिजों की मूल्य श्रृंखला को सुरक्षित करने और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

- क्वाड सदस्य देश खनिजों के खनन, प्रसंस्करण के लिए सरकारी फंडिंग, विकास वित्त संस्थानों और निजी क्षेत्र की भागीदारी के जरिए 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक की राशि जुटाएंगे।
- वर्तमान में लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स (दुर्लभ मृदा तत्वों) के प्रसंस्करण और वैश्विक सप्लाई चेन पर चीन का दबदबा है।

भारत-अमेरिका संबंध

- 24 मई, 2026 को नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस. जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के बीच हुई वार्ता के दौरान भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुनः पुष्टि की। इस बैठक में रक्षा, व्यापार, आप्रवासन, समुद्री सुरक्षा और हिंद-प्रशांत सहयोग पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया।
- भारत और अमेरिका ने अपने10-वर्षीय 'प्रमुख रक्षा साझेदारी ढांचा समझौते'का नवीनीकरण किया और एक 'अंडरवॉटर डोमेन अवेयरनेस रोडमैप'पर हस्ताक्षर किए।

अमेरिका की J-1, F-1 और H-1B वीजा प्रणालियों में अंतर

विशेषता	J-1 वीजा	F-1 वीजा	H-1B वीजा
वीजा का उद्देश्य	सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम, प्रशिक्षण, शोध, शिक्षण, इंटर्नशिप आदि	अमेरिकी शैक्षणिक संस्थान में पूर्णकालिक अध्ययन	किसी अमेरिकी कंपनी में विशिष्ट व्यवसाय/कौशल वाले पेशेवर के रूप में कार्य
पात्रता	कार्यक्रम प्रायोजक के माध्यम से चयनित व्यक्ति	मान्यता प्राप्त विद्यालय/विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त छात्र	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता और विशिष्ट कौशल
अवधि	कार्यक्रम के अनुसार (कुछ माह से कई वर्ष)	पाठ्यक्रम की अवधि तक + वैकल्पिक व्यावहारिक प्रशिक्षण (OPT)	अधिकतम 3 वर्ष, जिसे 3 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है (कुल 6 वर्ष)
किसके द्वारा प्रायोजित	अमेरिकी विभाग, शैक्षणिक संस्थान, या अधिकृत प्रायोजक संगठन	छात्र स्वयं और अमेरिकी शैक्षणिक संस्थान	अमेरिकी नियोक्ता (कंपनी)
साथ कौन आ सकता है	पति/पत्नी और अविवाहित बच्चे J-2 वीजा पर	पति/पत्नी और अविवाहित बच्चे F-2 वीजा पर	पति/पत्नी और अविवाहित बच्चे H-4 वीजा पर
कार्य करने की अनुमति	कार्यक्रम के नियमों के अनुसार सीमित या अनुमति प्राप्त	परिसर में सीमित, परिसर के बाहर OPT/CPT द्वारा सीमित	हां, केवल उसी नियोक्ता के लिए जिसने वीजा प्रायोजित किया है
ग्रीन कार्ड (स्थायी निवास) की संभावना	कुछ श्रेणियों में गृह देश वापसी आवश्यकता (2 वर्ष नियम) लागू	संभव, परंतु नियोक्ता प्रायोजन की आवश्यकता	संभव, नियोक्ता प्रायोजन द्वारा
मुख्य विशेषता	सांस्कृतिक विनिमय और कौशल विकास पर केंद्रित	शिक्षा प्राप्त करने के लिए सबसे सामान्य वीजा	कुशल पेशेवरों के लिए कार्य वीजा, संख्या सीमित (वार्षिक कोटा)

नोट: तीनों वीजा अस्थायी (गैर-प्रवासी) हैं, परंतु उद्देश्य, पात्रता, अवधि, और कार्य अधिकार अलग-अलग होते हैं।

- दोनों पक्षों ने एक अंतरिम व्यापार समझौते के संपन्न होने के प्रति आशा व्यक्त की, जो आगे चलकर एक व्यापक द्विपक्षीय व्यापार सौदे का मार्ग प्रशस्त करेगा।
- अमेरिका ने स्पष्ट किया कि J-1, F-1 और H-1B वीजा प्रणालियों में सुधार वैश्विक आप्रवासन आधुनिकीकरण प्रक्रिया का हिस्सा हैं।
- भारत ने ऊर्जा आयात के विविधीकरण पर जोर दिया और अमेरिका को एक विश्वसनीय ऊर्जा भागीदार बताया।

राष्ट्रीय घटनाक्रम

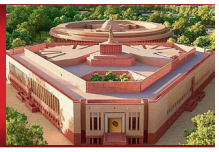

NFHS-6 (2023-24) सर्वेक्षण जारी

- केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने NFHS-6 (2023-24) जारी किया है। सर्वेक्षण से पता चलता है कि भारत में मातृ-शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, पोषण, स्वास्थ्य बीमा कवरेज, महिला सशक्तिकरण और परिवार नियोजन के अधिकांश संकेतकों में सुधार हुआ है। यह सर्वेक्षण भारत की जनसंख्या एवं स्वास्थ्य संबंधी नीतियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण डेटाबेस माना जाता है।

महत्वपूर्ण तथ्य:

- **जारीकर्ता:** स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW)
- **नोडल एजेंसी:** अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (IIPS), मुंबई
- **अवधि:** 2023-24
- **कवरेज:** 715 जिले
- **परिवार:** लगभग 6.79 लाख
- **प्रथम NFHS सर्वेक्षण:** 1992-93

प्रमुख निष्कर्ष:

- संस्थागत प्रसव (Institutional Deliveries) बढ़कर लगभग 90.6% हो गए हैं।
- बच्चों में Stunting (कम लंबाई) 38% से घटकर लगभग 36%।Wasting (दुबलापन) 21% से घटकर लगभग 19%।
- टीकाकरण कवरेज और मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार दर्ज किया गया।
- स्वास्थ्य बीमा कवरेज में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- 20-24 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं में 18 वर्ष से पहले विवाह का प्रतिशत 23.3% (NFHS-5) से घटकर 20.1% हुआ।

राष्ट्रीय ई-शासन सेवा वितरण मूल्यांकन (NeSDA) 2025

- प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने राष्ट्रीय ई-शासन सेवा वितरण मूल्यांकन (नेस्डा) 2025 पोर्टल का शुभारंभ किया।
- इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों तथा व्यवसायों को प्रदान की जाने वाली डिजिटल सरकारी सेवाओं की परिपक्वता, उपलब्धता और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना है।
- मूल्यांकन में राज्य, केंद्रशासित प्रदेश, नगर तथा केंद्रीय मंत्रालयों के सूचना पोर्टलों और सेवा पोर्टलों को अलग-अलग श्रेणियों में परखा जाएगा।
- वर्ष 2025 के मूल्यांकन में वित्त, श्रम, शिक्षा, स्थानीय शासन, सामाजिक कल्याण, पर्यावरण, पर्यटन, परिवहन तथा लोक शिकायत जैसे प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है।
- मूल्यांकन के प्रमुख मानदंडों में सुगमता, उपयोग में सरलता, सूचना सुरक्षा, गोपनीयता, सेवा वितरण, आवेदन स्थिति की निगरानी, एकीकृत सेवा वितरण, मुक्त सरकारी आँकड़े तथा नागरिक सहभागिता शामिल हैं।
- नया पोर्टल केंद्रीय और राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों द्वारा भेजे गए आँकड़ों के स्वचालित संग्रहण, निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल भंडार के रूप में कार्य करेगा।

महत्वपूर्ण तथ्य:

- **नोडल विभाग:** प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग

- **मंत्रालय:** कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
- **प्रकृति:** द्विवार्षिक डिजिटल शासन मूल्यांकन
- **आधार:** संयुक्त राष्ट्र ऑनलाइन सेवा सूचकांक
- **राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों हेतु अनिवार्य सेवाएँ:** 59
- **केंद्रीय मंत्रालयों हेतु सेवाएँ:** 43
- **नया क्षेत्र जोड़ा गया:** कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की सेवाएँ।

नीति आयोग ने जारी किया "भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग का भविष्य" रोडमैप

- नीति आयोग ने भारत के अर्धचालक उद्योग के विकास हेतु एक दीर्घकालिक मार्गदर्शन-पत्र जारी किया है। इसका उद्देश्य वर्ष 2035 तक भारत को अर्धचालक निर्माण, पैकेजिंग, परीक्षण और अभिकल्पना के क्षेत्र में वैश्विक शक्ति बनाना तथा आयात-निर्भरता कम करना है।

Exhibit 12: Geographical spread of semiconductor value chain*

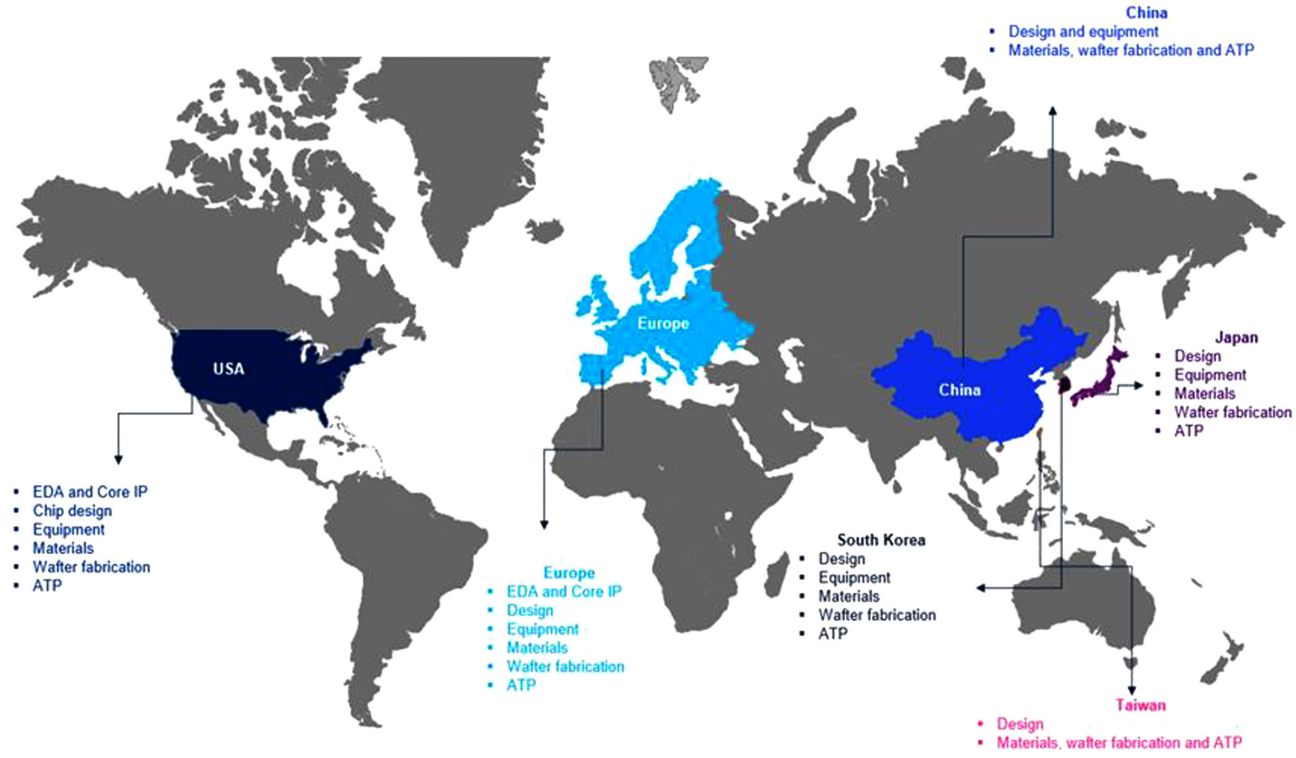

महत्वपूर्ण तथ्य:

- **जारीकर्ता:** नीति आयोग
- **लक्ष्य वर्ष:** 2035
- **घरेलू अर्धचालक मूल्य श्रृंखला का लक्ष्य:** 120–150 अरब डॉलर
- **अनुमानित भारतीय अर्धचालक बाजार:** 200 अरब डॉलर
- भारत की 90–95% अर्धचालक आवश्यकता आयात से पूरी होती है।
- भारत को आयातक से वैश्विक उत्पादक बनाने का लक्ष्य।

प्रमुख फोकस क्षेत्र:

- यौगिक अर्धचालक

- शक्ति इलेक्ट्रॉनिकी
- संवेदक (सेंसर) आधारित चिप
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता हेतु चिप
- विद्युत वाहनों में प्रयुक्त चिप

रणनीतिक लक्ष्य:

- पैकेजिंग एवं परीक्षण क्षेत्र में भारत को विश्व के शीर्ष 3 देशों में शामिल करना।
- कुशल मानव संसाधन (अभियंता एवं तकनीकी विशेषज्ञ) तैयार करना।
- प्रारंभिक निवेश में सरकार की महत्वपूर्ण भागीदारी।

निर्भय रहो पहल

- 'निर्भय रहो' महिलाओं की सुरक्षा एवं लैंगिक समानता हेतु पंचायती राज मंत्रालय की राष्ट्रीय पहल है।
- इस योजना का वित्तपोषण केंद्र सरकार के गैर-व्यपगत (Non-Lapsable) निर्भया कोष से किया जाता है।
- इसका उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव और हिंसा का उन्मूलन करना है।
- योजना ग्राम पंचायतों को महिला सुरक्षा के सक्रिय केंद्रों में परिवर्तित करने पर केंद्रित है।
- यह पहल देशभर के 32 लाख से अधिक निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को कवर करती है।

तीन प्रमुख घटक:

- 'निर्भय नेत्री' घटक के तहत 14.5 लाख निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
- 'निर्भय चेतना' के अंतर्गत 17.5 लाख पुरुष निर्वाचित प्रतिनिधियों को लैंगिक संवेदनशीलता का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- 'निर्भय दृष्टि' के तहत ग्राम पंचायतों में रणनीतिक स्थानों पर निगरानी कैमरे लगाए जाएंगे।

एसआरएस (SRS) सांख्यिकी रिपोर्ट जारी

- भारत के महापंजीयक कार्यालय ने सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की।

इसके मुख्य निष्कर्ष:

- भारत की कुल प्रजनन दर 1.9 हो गई है, जो प्रतिस्थापन स्तर (2.1) से नीचे है, अर्थात जनसंख्या वृद्धि की गति धीमी हो रही है।
- जन्म दर 2014 के 21.0 से घटकर 2024 में 18.3 प्रति हजार जनसंख्या रह गई है।
- मृत्यु दर 2024 में 6.4 प्रति हजार जनसंख्या दर्ज की गई, जो पिछले वर्षों की तुलना में थोड़ी कम है।
- शिशु मृत्यु दर घटकर 24 प्रति 1000 जीवित जन्म हो गई, जबकि 2019 में यह 30 थी।
- पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर घटकर 28 प्रति 1000 जीवित जन्म हो गई है।
- 0-14 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या का हिस्सा घटकर 24% रह गया है, जबकि 15-59 वर्ष कार्यशील आयु वर्ग बढ़कर 66.4% हो गया है।
- 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की जनसंख्या 9.7% तक पहुँच गई है, जो वृद्धावस्था की ओर बढ़ती जनसंख्या का संकेत है।
- महिलाओं की प्रभावी विवाह आयु बढ़कर 23.1 वर्ष हो गई है (ग्रामीण 22.6 वर्ष, शहरी 24.4 वर्ष)।
- जन्म के समय लिंगानुपात 918 बालिकाएँ प्रति 1000 बालक दर्ज किया गया, जो पूर्व की तुलना में मामूली सुधार दर्शाता है।
- 95.4% प्रसव संस्थागत स्तर पर हुए, अर्थात अधिकांश प्रसव सरकारी अथवा निजी अस्पतालों में संपन्न हुए।

मुख्य निष्कर्ष

1 प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से नीचे

कुल प्रजनन दर (टीएफआर)

1.9
वर्ष 2024 में

प्रतिस्थापन स्तर **2.1**

भारत लगातार पाँचवें वर्ष भी प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक पीढ़ी स्वयं को पूरी तरह प्रतिस्थापित नहीं कर रही है।

2 जन्म दर में निरंतर कमी

जन्म दर
(प्रति 1,000 जनसंख्या)

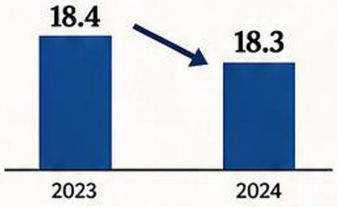

इस कमी का कारण शहरीकरण, शिक्षा के बढ़ते स्तर, विवाह में देरी और बदलती पारिवारिक प्राथमिकताएँ हैं।

3 स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार

शिशु मृत्यू दर (आईएमआर)
24 मौतें
प्रति 1,000 जीवित जन्म
↓ पिछले वर्षों की तुलना में सुधार

पांच वर्ष से कम आयु मृत्यू दर
28 मौतें
प्रति 1,000 जीवित जन्म

स्वास्थ्य परिणामों में सुधार जारी है, हालांकि क्षेत्रीय असमानताएँ अभी भी मौजूद हैं।

ग्रामीण बनाम शहरी भारत

कुल प्रजनन दर (टीएफआर)

ग्रामीण	शहरी
2.1	1.5

शहरी भारत लगभग दो दशकों से प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है, जबकि ग्रामीण भारत अब इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है।

भारत की जनसांख्यिकीय यात्रा

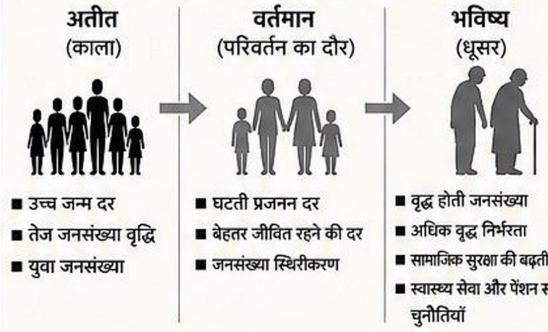

अतीत (काला)	वर्तमान (परिवर्तन का दौर)	भविष्य (धूसर)
■ उच्च जन्म दर	■ घटती प्रजनन दर	■ वृद्ध होती जनसंख्या
■ तेज जनसंख्या वृद्धि	■ बेहतर जीवित रहने की दर	■ अधिक वृद्ध निर्भरता
■ युवा जनसंख्या	■ जनसंख्या स्थिरीकरण	■ सामाजिक सुरक्षा की बढ़ती मांग
		■ स्वास्थ्य सेवा और पेंशन संबंधी चुनौतियां

संपादकीय का मूल संदेश यही है कि भारत "काले से धूसर" की ओर बढ़ रहा है— जनसंख्या विस्फोट की चिंता से आगे बढ़कर अब वृद्ध होती जनसंख्या की तैयारी की ओर।

क्षेत्रीय असमानता

बेहतर संकेतक
दक्षिणी और शहरी राज्य
- ✓ कम मृत्यु दर
- ✓ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ
- ✓ कम प्रजनन दर

ध्यान देने योग्य क्षेत्र
कई उत्तरी राज्य
- ⚠ उच्च प्रजनन दर
- ⚠ उच्च शिशु मृत्यु दर
- ⚠ स्वास्थ्य परिणाम असमान

प्रतिवेदन बताता है कि समग्र राष्ट्रीय प्रगति के बावजूद क्षेत्रीय असमानताएँ बनी हुई हैं।

नीति संबंधी निहितार्थ

भारत को इन क्षेत्रों के लिए तैयार रहना होगा:

वृद्ध होती जनसंख्या
बढ़ती उम्र वाली आबादी से निर्भरता अनुपात बढ़ेगा।

जेरियाट्रिक स्वास्थ्य सेवा
वृद्धजनों की देखभाल और दीर्घकालिक देखभाल ढांचे को मजबूत करना होगा।

पेंशन और सामाजिक सुरक्षा प्रणाली
स्थायी पेंशन मॉडल और सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क अत्यावश्यक होंगे।

महिला कार्यबल भागीदारी
महिलाओं की अधिक भागीदारी आर्थिक विकास को निरंतर बनाए रखेगी।

मानव पूंजी विकास
शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य में निवेश जनसांख्यिकीय लाभांश को अधिकतम करने की कुंजी है।

संतुलित क्षेत्रीय विकास
क्षेत्रीय अंतर को कम करना समावेशी और टिकाऊ विकास के लिए आवश्यक है।

निष्कर्ष

भारत की चुनौती अब केवल जनसंख्या वृद्धि नहीं है। वास्तविक चुनौती एक वृद्ध होती समाज के लिए तैयारी करना है, साथ ही स्वास्थ्य और विकास में क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना है।

स्रोत: सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एसआरएस) सांख्यिकीय प्रतिवेदन 2024, महानिदेशक, पंजीयन एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय, भारत सरकार।

- केरल में शिशु मृत्यु दर केवल 8 है, जबकि छत्तीसगढ़ में 36, जो क्षेत्रीय असमानता को दर्शाता है।

महत्वपूर्ण तथ्य:

- सर्वेक्षण गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है।
- यह भारत में जन्म दर, मृत्यु दर, प्रजनन दर तथा जनसांख्यिकीय संकेतकों का सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक स्रोत है।
- सर्वेक्षण में लगभग 89 लाख व्यक्तियों तथा 8,839 नमूना इकाइयों को शामिल किया गया।
- भारत की मध्य आयु 29.2 वर्ष है, जो अभी भी जनसांख्यिकीय लाभांश प्रदान करती है।

चार-आयामी सीमा सुरक्षा मॉडल

- हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने राजस्थान में भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी के दौरे के दौरान चार-आयामी सीमा सुरक्षा मॉडल का प्रस्ताव रखा।
- यह भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर बहुस्तरीय एवं समन्वित सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने की नई अवधारणा है।

- इस मॉडल में सीमा सुरक्षा बल, सेना, स्थानीय प्रशासन, साइबर निगरानी इकाइयों तथा सीमावर्ती नागरिकों को एकीकृत किया जाएगा।
- इसका मुख्य उद्देश्य घुसपैठ, तस्करी, ड्रोन गतिविधियों तथा सीमा-पार आतंकवाद पर प्रभावी रोक लगाना है।
- यह मॉडल सैन्य बलों, नागरिक प्रशासन और स्थानीय समुदायों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करेगा।
- इसके अंतर्गत मादक पदार्थों, हथियारों की तस्करी तथा टोही ड्रोन नेटवर्क को जमीनी स्तर पर समाप्त करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- मॉडल में साइबर निगरानी, ड्रोन पहचान, आधुनिक संचार प्रणाली तथा वास्तविक समय की खुफिया सूचना साझाकरण को शामिल किया गया है।
- किसी भी सुरक्षा खतरे का त्वरित पता लगाने और तत्काल प्रतिक्रिया देने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी व्यवस्था विकसित की जाएगी।
- यह मॉडल वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के साथ जुड़कर सीमावर्ती गांवों में सड़क, बिजली, दूरसंचार और आजीविका सुविधाओं को सुदृढ़ करेगा।
- यह पहल नागरिक–सैन्य–सामुदायिक सहयोग के माध्यम से भारत की सीमा सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नाओलेकर समिति

- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अवैध प्रवासन तथा असामान्य जनसंख्या परिवर्तन की जांच हेतु एक उच्च स्तरीय बहुविषयक समिति का गठन किया है।
- समिति के अध्यक्ष भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नाओलेकर हैं।
- समिति में भारत के जनगणना आयुक्त, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व पुलिस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव तथा अर्थशास्त्री शामिका रवि सदस्य हैं।
- गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव (विदेशी प्रभाग-1) को समिति का सदस्य सचिव बनाया गया है।
- समिति का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालिक अवैध प्रवासन और घुसपैठ से उत्पन्न अस्वाभाविक जनसंख्या परिवर्तनों का वैज्ञानिक एवं तथ्याधारित अध्ययन करना है।
- यह समिति विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक समुदायों की जनसंख्या में असामान्य परिवर्तनों का सांख्यिकीय विश्लेषण कर समाधान सुझाएगी।

'ट्रॉमा केयर' को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता

- 26 मई, 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि ट्रॉमा एवं आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है।
- न्यायालय ने सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को भारत की ट्रॉमा-केयर तथा आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया।
- यह फैसला सेव-लाइफ फाउंडेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में सुनाया गया।
- ये निर्देश सभी प्रकार के ट्रॉमा पर लागू होते हैं, जिनमें सड़क दुर्घटनाएं, जलना (burns), ऊंचाई से गिरना, डूबना, औद्योगिक दुर्घटनाएं, आग, विस्फोट और आपदा से जुड़ी चोटें शामिल हैं।
- न्यायालय ने 100, 101, 102, 108, 1033 और 1091 जैसे आपातकालीन हेल्पलाइन नंबरों को तीन महीने के भीतर एकल राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर '112' में एकीकृत करने का निर्देश दिया।
- सभी सार्वजनिक और निजी एम्बुलेंसों को 'नेशनल एम्बुलेंस कोड' का पालन करना होगा और उन्हें GPS-आधारित ट्रैकिंग सिस्टम से लैस किया जाना अनिवार्य है।
- दुर्घटना पीड़ितों की सहायता करने वाले नागरिकों की सुरक्षा के लिए राज्यों को भौतिक और डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करनी होगी।
- बेहतर योजना और निगरानी के लिए अदालत ने राष्ट्रीय ट्रॉमा डेटाबेस से जुड़ी राज्य-स्तरीय 'ट्रॉमा रजिस्ट्रियों' के निर्माण का आदेश दिया।
- राज्यों को राजमार्गों, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी ट्रॉमा-केयर क्षमताओं के आधार पर सार्वजनिक और निजी अस्पतालों को वर्गीकृत और नामित करना होगा।

राष्ट्रीय खेल बोर्ड और राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण

- केंद्र सरकार ने 26 मई 2026 को राष्ट्रीय खेल बोर्ड और राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण से संबंधित नियमों को अधिसूचित किया गया है तथा दोनों की संरचना, नियुक्ति प्रक्रिया, अधिकार, सेवा शर्तें और कार्यप्रणाली भी निर्धारित की गई है।
- ये नियम "राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025" के तहत बनाए गए हैं और देश में खेल प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीक-आधारित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं।

राष्ट्रीय खेल बोर्ड (NSB):

- इस नए बोर्ड के तहत तीन सदस्यीय समिति होगी (एक अध्यक्ष और दो सदस्य) ।बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। नियमों के अनुसार बोर्ड के सदस्यों की अधिकतम आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई है।

राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण :

- खेलों से जुड़े विवादों के समाधान के लिए एक विशेष न्यायिक संस्था होगी। इसका उद्देश्य खेल प्रशासन से संबंधित मामलों को सामान्य दीवानी अदालतों के बाहर तेज गति से निपटाना है। यायाधिकरण के अध्यक्ष का कार्यकाल चार वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, निर्धारित किया गया है। वहीं सदस्यों का कार्यकाल चार वर्ष या 67 वर्ष की आयु तक रहेगा।

मशीनीकृत बल महानिदेशालय (DGMF)

- भारतीय सेना ने अपने यंत्रीकृत युद्ध तंत्र को मजबूत करने के लिए सेना मुख्यालय स्तर पर एक बड़ा संस्थागत पुनर्गठन किया है, जिसके तहत आर्मर्ड कोर (Armoured Corps) और यंत्रीकृत पैदल सेना (Mechanised Infantry) को पुनर्गठित मशीनीकृत बल महानिदेशालय (DGMF) के अधीन लाया जा रहा है
- मशीनीकृत बल महानिदेशालय (DGMF)भारतीय सेना में यंत्रीकृत युद्ध क्षमता का सर्वोच्च संस्थागत एवं प्रशासनिक निकाय है।
- इसकी स्थापना सन् 1986 में बख्तरबंद कोर और यंत्रीकृत पैदल सेना को एकीकृत संस्थागत ढांचे में लाने के लिए की गई थी।
- नए पुनर्गठन के अनुसार महानिदेशालय का नेतृत्व एक लेफ्टिनेंट जनरल करेंगे तथा दो मेजर जनरल स्तर के अतिरिक्त महानिदेशक क्रमशः बख्तरबंद कोर और यंत्रीकृत पैदल सेना का दायित्व संभालेंगे।
- इस पुनर्गठन का उद्देश्य दोनों शाखाओं की अलग पहचान बनाए रखते हुए समन्वित योजना एवं संचालन को मजबूत करना है।

आर्थिकी घटनाक्रम

भारतीय रिजर्व बैंक की किल स्विच सुविधा

- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में घोषणा की है कि वह सभी डिजिटल भुगतान चैनलों पर 'स्विच ऑन/स्विच ऑफ' सुविधा के साथ-साथ एक सार्वभौमिक 'किल स्विच' तंत्र को लागू करने की संभावना तलाश रहा है ।

यूनिवर्सल किल स्विच के बारे में:

- यह एक एकीकृत (Unified) आपातकालीन प्रणाली है, जो बैंक ग्राहकों को एक ही कार्रवाई के माध्यम से सभी डिजिटल भुगतान माध्यमों जैसे- UPI, NEFT/IMPS, मोबाइल बैंकिंग, और डेबिट/क्रेडिट कार्ड, को तुरंत बंद (Disable) करने की सुविधा प्रदान करती है।
- उद्देश्य: जब किसी उपयोगकर्ता को संदेह हो कि उसका खाता हैक हो गया है या वह अधिकृत पुश भुगतान फ्रॉड (Authorized Push Payment- APP) (जिसमें व्यक्ति को धोखे से स्वयं पैसे भेजने के लिए प्रेरित किया जाता है) का शिकार हो गया है, तब यह एक "इमरजेंसी ब्रेक" की तरह कार्य करेगा।
- वन-स्टॉप समाधान: वर्तमान में उपयोगकर्ताओं को अलग-अलग सेवाओं को अलग-अलग माध्यमों से ब्लॉक करना पड़ता है। किल स्विच इस प्रक्रिया को केंद्रीकृत (Centralized) बनाता है।
- पुनः सक्रियण प्रक्रिया (Reactivation Process): सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सेवाओं को पुनः चालू करने हेतु उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी, जैसे बैंक शाखा में जाना या उन्नत बायोमेट्रिक सत्यापन, ताकि धोखेबाज इस ब्लॉक को हटाने में सफल न हो सकें।

लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स

❖ हाल ही में, केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री (MoPSW) ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स (LPPI) का शुभारंभ किया।

हांगकांग कन्वेंशन
(Hong Kong Convention)

जहाजों के सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल पुनर्चक्रण के लिए वैश्विक समझौता

कब अपनाया गया?

15 मई 2009

इस समझौते को 15 मई 2009 को चीन के हांगकांग में आयोजित एक राजनथिक सम्मेलन में अपनाया गया था।

लागू होने की तिथि

26 जून 2025

यह वैश्विक स्तर पर 26 जून 2025 से पूरी तरह से लागू हो चुका है।

कहाँ लागू होता है?

- यह नियम अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले 500 ग्रॉस टन (GT) या उससे अधिक के सभी नए और पुराने वाणिज्यिक जहाजों पर लागू होता है।
- इसके अलावा, यह सदस्य देशों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी जहाज पुनर्चक्रण यार्डों पर भी लागू होता है।

अनुसमर्थन करने वाले देश

अब तक 24 प्रमुख देशों ने इस पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन किया है। इनमें दुनिया के सबसे बड़े जहाज रीसाइक्लिंग केंद्र—भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और तुर्किये शामिल हैं।

भारत | बांग्लादेश | पाकिस्तान | तुर्किये

वैश्विक क्षमता: इस कन्वेंशन के सदस्य देश दुनिया के कुल व्यापारिक जहाजों के टन भार का लगभग **57%** से अधिक हिस्सा संभालते हैं।

भारत कब जुड़ा?

भारत ने 28 नवंबर 2019 को औपचारिक रूप से इस कन्वेंशन को अपनी स्वीकृति दी थी।

घरेलू कानून

कन्वेंशन के नियमों को कड़ाई से लागू करने के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 2019 में 'जहाज पुनर्चक्रण अधिनियम' (Recycling of Ships Act, 2019) पारित किया था।

महत्व

वैश्विक जहाज रीसाइक्लिंग बाजार में भारत की हिस्सेदारी **30%** से अधिक है। गुजरात का 'अलंग—सोसैया' यार्ड अब इसके मानकों के अनुरूप खुद को अपग्रेड कर चुका है।

कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य

1 श्रमिकों की सुरक्षा

पुराने जहाजों को तोड़ते समय यार्ड में काम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य और जीवन को जोखिमों से बचाना।

2 पर्यावरण प्रदूषण रोकना

जहाज काटते समय निकलने वाले हानिकारक कचरे, तेल और रसायनों को समुद्र या तटीय जमीन में मिलने से रोकना।

3 खतरनाक सामग्रियों पर प्रतिबंध

जहाजों में इस्तेमाल होने वाले खतरनाक तत्वों जैसे—एस्बेस्टस, भारी धातुएँ, हाइड्रोकार्बन और ओजोन परत को नुकसान पहुँचाने वाले पदार्थों के प्रबंधन और उपयोग पर कड़ा निचंत्रण रखना।

4 अनिवार्य दस्तावेज (IHM)

हर जहाज के लिए खतरनाक सामग्रियों की सूची (IHM) रखना अनिवार्य बनाना, ताकि यह पता रहे कि जहाज के किस हिस्से में कौन सा जहरीला पदार्थ है।

समग्र लक्ष्य: सुरक्षित, स्वच्छ और टिकाऊ जहाज पुनर्चक्रण सुनिश्चित करना, मानव जीवन की रक्षा करना, समुद्री और तटीय पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना तथा सतत समुद्रीय उद्योग को बढ़ावा देना।

स्टेनली रोड, निकट ट्रैफिक चौराहा, प्रयागराज उत्तर प्रदेश 9682984000/7905693289

सूचकांक के बारे में:

- इसे सागर आंकालन ढांचे के अंतर्गत विकसित किया गया है।
- यह भारतीय बंदरगाहों के परिचालन प्रदर्शन का आकलन और सुधार करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक राष्ट्रीय मानकीकरण तंत्र है।
- एलपीपीआई तीन कार्गो सेगमेंट - ड्राई बल्क, लिक्विड बल्क और कंटेनर कार्गो - में परिचालन संकेतकों का उपयोग करके बंदरगाहों का मूल्यांकन करता है।
- यह सूचकांक प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, समुद्री भारत विजन 2030 और समुद्री अमृत काल विजन 2047 के अनुरूप है और इसका उद्देश्य वैश्विक रसद और समुद्री व्यापार में भारत की स्थिति को मजबूत करना है।
- घोषित एक अन्य महत्वपूर्ण सुधार 'शिप रिसाइक्लिंग क्रेडिट' योजना के लिए 'एकीकृत शिप रिसाइक्लिंग पोर्टल' है। यह पोर्टल सरकार द्वारा 2025 में घोषित 70,000 करोड़ रुपये के समुद्री विकास पैकेज का हिस्सा है।विश्व में जहाजों का पुनर्चक्रण हेतु हांगकांग कन्वेंशन लागू किया गया है।

सार्थक-पीडीएस योजना

- सार्थक-पीडीएस (राशन परिवहन एवं प्रबंधन सहायता तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में स्वचालन आधारित आय सहायता योजना) को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने मंजूरी दी है।
- यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एक अम्ब्रेला योजना है।
- योजना की नोडल एजेंसी उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग है।
- इसका मुख्य उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक खाद्यान्न की निर्बाध एवं सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
- योजना के तहत राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को खाद्यान्न भंडारण, परिवहन और प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत राज्यों के भीतर खाद्यान्न परिवहन एवं उचित मूल्य दुकान विक्रेता मार्जिन योजना तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण एवं तकनीकी सुधार योजना का एकीकरण किया गया है।
- योजना सभी 36 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के लिए एकीकृत डाटाबेस, राज्य स्तरीय नियंत्रण केंद्र तथा मानकीकृत संचालन व्यवस्था स्थापित कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और तकनीक-सक्षम बनाएगी।

सेबी का नया ऋण बाजार सुधार

- भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) कॉर्पोरेट ऋण सूचकांकों पर आधारित ऋण विनिमय-व्यापारित निधियों तथा व्युत्पन्न उत्पादों को विकसित कर रहा है।
- इस पहल की घोषणा सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडेय ने 26 मई 2026 को मुंबई में आयोजित ऋण बाजार शिखर सम्मेलन में की।
- ऋण विनिमय-व्यापारित निधियां ऐसी निवेश योजनाएं हैं जो सरकारी प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेट ऋण पत्रों तथा अन्य निश्चित आय वाली प्रतिभूतियों में निवेश करती हैं।
- इन निधियों का उद्देश्य तरलता बढ़ाना, छोटे निवेशकों को कम राशि में निवेश का अवसर देना तथा ब्याज दर जोखिम से सुरक्षा प्रदान करना है।
- वर्तमान में भारत के कॉर्पोरेट ऋण बाजार में खुदरा निवेशकों की भागीदारी 1 प्रतिशत से भी कम है।
- भारत का कॉर्पोरेट ऋण बाजार वित्त वर्ष 2015 के लगभग 17.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वर्तमान में 59 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।
- सेबी अगले 6 से 9 महीनों में कॉर्पोरेट ऋण पत्रों के डिजिटल टोकनीकरण के प्रायोगिक कार्यक्रम तथा "परियोजना जागरूक" के अंतर्गत निवेशक जागरूकता अभियान शुरू करेगा।

भारत औद्योगिक विकास योजना (BHAVYA)

- भारत औद्योगिक विकास योजना (BHAVYA) केंद्र सरकार की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसका उद्देश्य देशभर में विश्वस्तरीय औद्योगिक स्मार्ट नगर विकसित करना है।
- इस योजना का नोडल विभाग उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग है, जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
- योजना के क्रियान्वयन एवं परियोजना प्रबंधन की जिम्मेदारी राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम को दी गई है।
- योजना के लिए कुल 33,660 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- इसका कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2031-32 तक छह वर्षों में किया जाएगा।
- योजना का मुख्य उद्देश्य घरेलू एवं वैश्विक विनिर्माताओं के लिए तैयार आधारभूत संरचना, सरल अनुमोदन व्यवस्था तथा बहु-माध्यम परिवहन संपर्क उपलब्ध कराना है।
- योजना के अंतर्गत देशभर में 100 औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे, जिनमें प्रथम चरण में 50 पार्कों का चयन प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया द्वारा होगा।
- योजना के तहत प्रति एकड़ अधिकतम 1 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी तथा बाह्य आधारभूत संरचना लागत का 25 प्रतिशत तक वहन किया जाएगा।
- परियोजनाओं का चयन भूमि उपयुक्तता, पर्यावरणीय स्थिरता, नीतिगत सहयोग तथा क्षेत्रीय औद्योगिक क्षमता जैसे वस्तुनिष्ठ मानकों के आधार पर किया जाएगा।
- योजना के अंतर्गत आधारभूत संरचना, मूल्यवर्धित औद्योगिक सुविधाएँ तथा सामाजिक सुविधाएँ विकसित की जाएँगी, जिनमें सड़कें, अपशिष्ट शोधन संयंत्र, कारखाना शेड, परीक्षण प्रयोगशालाएँ, श्रमिक आवास, स्वास्थ्य केंद्र तथा कौशल विकास केंद्र शामिल हैं।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी घटनाक्रम

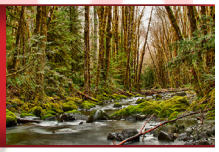

नागोया प्रोटोकॉल पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय रिपोर्ट

- भारत सरकार ने नागोया प्रोटोकॉल पर अपनी पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की, जो आनुवंशिक संसाधनों तक पहुँच एवं उनसे प्राप्त लाभों के न्यायसंगत वितरण से संबंधित है।
- नागोया प्रोटोकॉल जैव विविधता अभिसमय (1992) का पूरक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसका उद्देश्य जैव संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का निष्पक्ष बंटवारा सुनिश्चित करना है।
- 1 नवम्बर 2017 से 31 दिसम्बर 2025 के बीच भारत ने लाभ-साझेदारी व्यवस्था के अंतर्गत कुल 12,830 अनुमतियाँ प्रदान कीं।
- भारत ने 3,556 अंतर्राष्ट्रीय अनुपालन प्रमाणपत्र जारी किए, जो विश्व में जारी कुल प्रमाणपत्रों का 60.24% है; इस प्रकार भारत वैश्विक स्तर पर प्रथम स्थान पर है।
- लाभ-साझेदारी व्यवस्था के माध्यम से ₹216.31 करोड़ की राशि प्राप्त हुई, जिसमें से ₹139.69 करोड़ स्थानीय समुदायों एवं संरक्षणकर्ताओं को वितरित किए गए।
- भारत में त्रिस्तरीय जैव विविधता शासन व्यवस्था कार्यरत है—राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य जैव विविधता बोर्ड तथा 2,76,653 से अधिक जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ।
- मध्य प्रदेश में एक औषधीय पौधे के उपयोग हेतु प्राप्त ₹4.5 लाख में से 95% राशि स्थानीय संरक्षण एवं जनकल्याण कार्यों के लिए हस्तांतरित की गई।
- उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जैव-ईंधन अनुसंधान हेतु कृषि अवशेषों के उपयोग के बदले ₹18.60 लाख की लाभ-साझेदारी राशि जमा कराई गई, जिसमें से ₹17.67 लाख राज्य जैव विविधता बोर्ड को प्राप्त हुए।

- रिपोर्ट के अनुसार जैव संसाधनों की आपूर्ति श्रृंखला का पता लगाना, दस्तावेजी जटिलताएँ, स्थानीय भाषाओं में जागरूकता की कमी तथा एकीकृत डिजिटल अभिलेखागार का अभाव प्रमुख चुनौतियाँ हैं।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटनाक्रम

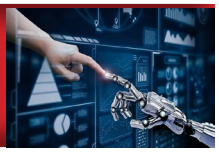

देश का पहला 'SkyCast' सिस्टम

- केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI) पर देश के पहले 'SkyCast' सिस्टम का उद्घाटन किया। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा 'मिशन मौसम' के तहत विकसित एक उन्नत विमानन मौसम निगरानी प्रणाली है।
- स्काइकास्ट एक नवीन पीढ़ी की एकीकृत वायुमंडलीय दूरसंवेदी प्रणाली है, जिसे हवाई परिवहन के लिए मौसम की निगरानी हेतु विकसित किया गया है। यह कोहरा, धूलकण, वायुमंडलीय अशांति, नमी तथा दृश्यता से संबंधित विभिन्न वास्तविक समय के आँकड़ों को एक मंच पर उपलब्ध कराती है।
- यह प्रणाली अनेक उन्नत उपकरणों को एक साथ जोड़ती है, जैसे:रडार पवन प्रोफाइलर,ध्वनि आधारित वायु मापन प्रणाली,सूक्ष्मतरंग विकिरणमापी आदि।
- तीन किलोमीटर तक वायुमंडलीय निगरानी
- कोहरे की बूंदों के आकार का अध्ययन,धूलकणों और कोहरे की परस्पर क्रिया का विश्लेषण तथा कोहरे की ऊँचाई, घनत्व और ऊर्ध्वाधर संरचना का पता लगाना सभी में यह सक्षम है।

भारतीय विज्ञान संवर्धन संघ (IACS)

- हाल ही में कोलकाता में भारतीय विज्ञान संवर्धन संघ (आईएसीएस) की 150वीं वर्षगांठ समारोह आयोजित किया गया है।
- भारतीय विज्ञान संवर्धन संघ (आईएसीएस) भारत का एक प्रमुख, ऐतिहासिक एवं स्वायत्त अनुसंधान संस्थान तथा मानित विश्वविद्यालय है।
- स्थापना तिथि: 29 जुलाई, 1876
- संस्थापक: डॉ. महेंद्रलाल सरकार
- भारत का सबसे पुराना वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान है।
- एशिया का पहला अनुसंधान संस्थान है जिसकी स्थापना आधुनिक विज्ञान के विकास हेतु पूर्णतः भारतीयों द्वारा की गई थी।

भारतीय विज्ञान संवर्धन संघ का उद्देश्य है:

- विज्ञान की सभी शाखाओं का विकास करना।
- मौलिक एवं आधारभूत अनुसंधान को प्रोत्साहित करना।
- वैज्ञानिक अनुसंधान के व्यावहारिक अनुप्रयोगों को बढ़ावा देना।
- विज्ञान के माध्यम से कला, उद्योग तथा मानव जीवन की सुविधाओं एवं गुणवत्ता में सुधार लाना।

वाई-फाई 7

- वाई-फाई 7 नवीनतम बेतार संचार मानक है, जिसे आईईईई 802.11बीई (अत्यधिक उच्च डेटा प्रवाह) के नाम से जाना जाता है।
- इसका प्रमुख उद्देश्य अत्यधिक तेज गति, न्यूनतम विलंबता तथा नेटवर्क भीड़भाड़ को समाप्त करना है।

- इसमें 320 मेगाहर्ट्ज़ चौड़े संचार मार्ग का उपयोग किया गया है, जो पूर्व पीढ़ी की तुलना में दोगुना है।
- बहु-संपर्क संचालन तकनीक के माध्यम से उपकरण एक साथ कई आवृत्ति पट्टियों पर डेटा भेज और प्राप्त कर सकते हैं।
- वाई-फाई 7 में विलंबता (Latency) लगभग चार गुना कम हो जाती है, जिससे वास्तविक समय आधारित सेवाएँ अधिक सुचारु रूप से कार्य करती हैं।

79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा

- 23 मई को जिनेवा में 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा (WHA) संपन्न हुई, जिसमें सदस्य देशों ने स्वास्थ्य शासन, रोग नियंत्रण एवं स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ करने हेतु वैश्विक सहयोग बढ़ाने के लिए अनेक प्रस्ताव एवं निर्णय अपनाए।
- थीम:"वैश्विक स्वास्थ्य की पुनर्संरचना: साझा जिम्मेदारी"
- स्ट्रोक, तपेदिक (TB), रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR), हीमोफिलिया, आपातकालीन देखभाल, प्रिसिजन मेडिसिन (सटीक चिकित्सा) और विकिरण सुरक्षा को शामिल किया गया।
- विश्व स्वास्थ्य सभा ,विश्व स्वास्थ्य संगठन की सर्वोच्च नीति-निर्धारक संस्था है। इसे सरल शब्दों में "दुनिया की स्वास्थ्य संसद" कहा जा सकता है।
- इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन के सभी 194 सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। आमतौर पर हर देश का प्रतिनिधित्व वहां के स्वास्थ्य मंत्री करते हैं।
- इसकी बैठक हर साल मई के महीने में जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित की जाती है।

उत्तर प्रदेश विशेष घटनाक्रम

निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ही 'प्रशासक' नियुक्त किया गया

- उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की सभी 57,694 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ही 'प्रशासक' नियुक्त करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।
- इसके आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह नई व्यवस्था 27 मई 2026 से पूरे प्रदेश में प्रभावी हो गई है।
- यूपी की ग्राम पंचायतों का 5 वर्ष का वर्तमान कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो चुका है।
- सभी निवर्तमान प्रधान नई पंचायतों के गठन होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि तक प्रशासक के रूप में कार्य संभालेंगे।
- इससे पहले (जैसे वर्ष 2021 में) चुनाव टलने पर सहायक विकास अधिकारी (ADO) या विकास खंड अधिकारी (BDO) को गांवों का प्रशासक नियुक्त किया जाता था।

न्यूज इन शॉर्ट

- वाइस एडमिरल संजय वात्सायन ने 30 मई 2026 को मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने इस पद पर कृष्ण स्वामीनाथन का स्थान लिया।
- भारतीय स्पेस स्टार्टअप 'रेड बैलून एयरोस्पेस' ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से भारत का पहला स्वदेशी समतापमंडलीय सुपर प्रेशर बैलून (SPB) "VISTA" लॉन्च किया। इसके साथ ही भारत इस तकनीक वाले दुनिया के शीर्ष 5 देशों में शामिल हो गया है।

- भारत में हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। इसी दिन साल 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र 'उदन्त मार्तण्ड' प्रकाशित किया था।
- भारतीय रेलवे ने सिकंदराबाद (तेलंगाना) में मानव संसाधन विकास, अनुसंधान और डिजिटल परिवर्तन के प्रशिक्षण के लिए अपने नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 'CHIRAG' का उद्घाटन किया।
- ताइवान स्टॉक एक्सचेंज ने भारत को पछाड़कर दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा शेयर बाजार बनने का गौरव हासिल किया। ताइवान का मार्केट कैपिटलाइजेशन $4.95 ट्रिलियन तक पहुंच गया।
- एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन (AAA) ने आधिकारिक घोषणा की कि भारत साल 2027 की एशियाई रिले (चंडीगढ़ में) और 2028 की एशियाई इनडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप (भुवनेश्वर में) की मेजबानी करेगा।
- भारतीय खेल प्रशासक, पांच बार के ओलंपियन निशानेबाज और एशियाई ओलंपिक परिषद के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष राजा रणधीर सिंह का 79 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया। उन्हें 1979 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
- 28 मई, 2026 को प्रसिद्ध उर्दू कवि (शायर) बशीर बद्र का लंबी बीमारी के बाद भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया।बद्र की उल्लेखनीय रचनाओं में इकाई, आमद, आहट और कुल्लियाते बशीर बद्र शामिल हैं। काव्य संग्रह 'आस' (Aas) के लिए उन्हें 1999 में उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
- भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 28 मई 2026 को गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में आयोजित समारोह में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर यानी "निशान" प्रदान किया। यह सम्मान भारत में किसी भी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान माना जाता है।सिक्किम पुलिस यह सम्मान प्राप्त करने वाली देश की 15वीं राज्य पुलिस बल बन गई।
- भारत का पहला राष्ट्रीय एआई और डिजिटल वाटर समिट "नेशनल एआई समिट ऑन वाटर 2026" 27 मई 2026 को बेंगलुरु में आयोजित किया गया।
- असम विधानसभा ने 27 मई 2026 को यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस विधेयक के पारित होने के साथ असम, उत्तराखंड और गुजरात के बाद तीसरा राज्य बन गया है।
- भारतीय रेलवे ने हरियाणा के जींद-सोनीपत रूट पर देश की पहली स्वदेशी 10-कार हाइड्रोजन फ्यूल सेल-आधारित ट्रेन के परिचालन को हरी झंडी दे दी है
- पूर्व उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौड़ा ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक "अपनपन: नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव" का विमोचन किया।
- भारत के दिग्गज तीरंदाज, बीजिंग/सियोल ओलंपिक (1988) टीम के सदस्य और 1989 के अर्जुन पुरस्कार विजेता श्याम लाल मीणा का 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
- 28 मई, 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेनेज़ जान्शा (Janez Janša) को स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री निर्वाचित होने पर बधाई दी।यानेज़ यानशा को को स्लोवेनिया की संसद द्वारा गुप्त मतदान (Secret Ballot) के माध्यम से प्रधानमंत्री चुना गया था।
- मोंट्रियल में आयोजित कनाडा ग्रांड प्रिक्स फॉर्मूला वन रेस में मर्सिडीज के एंड्रिया किमी एंटोनेली ने जीत हासिल की है।
- संयुक्त राष्ट्र दो भारतीय शांति सैनिकों, हरभजन सिंह और सुजीत कुमार प्रधान को मरणोपरांत प्रतिष्ठित डैग हैमरस्क्योल्ड मेडल से सम्मानित करेगा।इसी अवसर पर भारतीय सेना की अधिकारी अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के "मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर" पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
- 27 मई, 2026 को उल्लास पहल के तहत सिक्किम को आधिकारिक तौर पर एक पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया।सिक्किम उत्तर-पूर्व भारत का तीसरा और देश का पाँचवाँ पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है।सिक्किम अब मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश जैसे पूर्ण साक्षर राज्यों के समूह में शामिल हो गया है।
- क्वांटम तकनीक से वित्तीय प्रणालियों को होने वाले साइबर खतरों और जोखिमों का अध्ययन करने के लिए आरबीआई ने आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर डॉ. अनिल प्रभाकर के नेतृत्व में 8-सदस्यीय 'क्वांटम सिक्योर एंड एडेप्टिव फाइनेंशियल इकोसिस्टम' (Q-SAFE) विशेषज्ञ पैनल का गठन किया।

- केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम के उल्लूर क्षेत्र में 25 मई 2026 को भारत के पहले निजी मेडिकल म्यूजियम"म्यूजियम ऑफ मेडिकल आर्काइव्स" का उद्घाटन किया गया।
- छत्तीसगढ़ के इस प्रमुख पारिस्थितिक आर्द्रभूमि (Wetland) पारिस्थितिकी तंत्र को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम "स्थानीय कार्रवाई, वैश्विक प्रभाव" के तहत एक राष्ट्रीय जैव विविधता मॉडल के रूप में सराहा गया है।
- चीन ने अपने शेनझोउ-23 (Shenzhou-23) अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जो तीन चीनी अंतरिक्ष यात्रियों (क्रू) को 'तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन' लेकर गया।चालक दल में शामिल 'लाई का-यिंग' (Lai Ka-ying) अंतरिक्ष में जाने वाली हॉन्गकॉन्ग की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं।

प्रमुख दिवस	
23 मई	विश्व कछुआ दिवस
25 मई	विश्व फुटबॉल दिवस,विश्व थायराइड दिवस
27 मई	राष्ट्रीय अंगदान दिवस
28 मई	विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस (थीम "एक अवधि-अनुकूल दुनिया के लिए एक साथ")
29 मई	संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस (थीम "शांति में निवेश करें")
30 मई	हिंदी पत्रकारिता दिवस,गोवा राज्य स्थापना दिवस

Committed To Excellence